संख्या : 89 /iX/ /2007

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय नागरिक उड्डयन विभाग,
पी0आई0पी0 हैंगर, जौलीग्रांट,
देहरादून।

परिवहन अनुभाग–02

देहरादून 26 सितम्बर,2007

विषय: वित्तीय वर्ष 2007–08 में नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 475/ 01(छ) /बजट/ लेखा/2007–08 दिनांक 10–08–07 तथा शासनादेश 509/ ix(65) /बजट/प्लान–नानप्लान/2007–08दिनांक 4–04–07 एवं शासनादेश संख्या– 74/मन/65/07 दिनांक 7–08–07 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में नागरिक उड्डयन की विभिन्न मदों में रू0 14,91,000/–(रू0 चौदह लाख इक्यानबे हजार मात्र) की धनराशि को संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र में उल्लिखित बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

2. उक्तानुसार आवंटित धनराशि किसी अन्य मद मे व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाएगा।
3. इस संबंध में व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका और स्टोर पर्चेज रूल्स, डी0जी0एस0 एण्ड डी0 मितव्ययता के नियमों में समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
4. जो देयक प्रीआडिट में आ गये है उनकी प्रीआडिट वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 के भाग एक के नियम 74 के अनुसार पूर्व सम्परीक्षा करके ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

5. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल लम्बित देयताओं का ही भुगतान किया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31–3–2008 तक उपयोग कर लिया जायेगा अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–24 के 'आयोजनेत्तर पक्ष' के लेखाशीर्षक "3035–नागर विमानन–80–सामान्य–003–प्रशिक्षण तथा शिक्षा–03–नागरिक उड्डयन– 00–आयोजनेत्तर–31–सामाग्री और सम्पूर्ति के अनुदान के नामे डाला जायेगा तथा पुनर्विनियोजन संलग्न प्रपत्र बी.एम.–15 के स्तम्भ–1 की बचतों से किया जाएगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 338/XXVII(2)/2007 दिनांक 24 सितम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : प्रपत्र बी.एम.–15।

भवदीय,

( पी०सी० शर्मा )
प्रमुख सचिव।

संख्या : [illegible] /पन/[illegible]/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड। शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
4. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।।
6. बजट राजकोषीय संशाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।

[illegible]

प्रपत्र – बी०एम० – 15
(पैरा – 158)

नियन्त्रक अधिकारी – प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

वित्तीय वर्ष 2007–08
प्रशासनिक विभाग – निदेशक नागरिक उड्डयन कार्यालय
अनुदान संख्या – 24
(धनराशि हजार रुपये में)

| बजट प्राविधानित लेखाशीर्षक का विवरण | | मानक मदवार अवशेषित व्यय | वित्तीय वर्ष के शेष अवधि के अनुमानित व्यय | अवशेष (समर्पणीय धनराशि) | लेखाशीर्षक, जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है | | पुनर्विनियोग के बाद कालम–5 की कुल धनराशि | पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (कॉलम 1 में अवशेष) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | 02 | 03 | 04 | 05 | | 06 | 07 | 08 |
| अनुदान संख्या–24–उड्डयन<br>3053–नागर विमानन<br>00–सामान्य<br>00–आयोजनेत्तर<br>003–प्रशिक्षण तथा शिक्षा<br>03–नागरिक उड्डयन<br>31–सामग्री और सम्पूर्ति | 5,00.00 | 2,18 | 4,82.91 | 1491(अ) | अनुदान संख्या–24–उड्डयन<br>3053–नागर विमानन<br>80–सामान्य<br>003–प्रशिक्षण तथा शिक्षा<br>03–नागरिक उड्डयन<br>00–आयोजनेत्तर<br>05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय<br>29–अनुरक्षण व्यय<br>44–प्रशिक्षण व्यय | 160 (क)<br>19 (ख)<br>1312 (ग) | 190<br>20<br>1512 | 40509 | (क) आवश्यकता न होने के कारण।<br>(ख) रुद्रपुर में 2 [illegible] प्रतिस्थापित होने पर आवश्यकता के अनुरूप बजट व्यवस्था न होने के कारण।<br>(ग) विगत वर्ष वास्तविक व्यय से अधिक आवश्यकता व इस मद में बजट प्राविधान न होने के कारण। |
| योग | 5,06.00 | 2.58 | 4,82.91 | 1491 | | 1491 | 1722 | 40509 | |

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद–150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(पी०सी०शर्मा)
प्रमुख सचिव।

उत्तरांचल शासन,
वित्त अनुभाग–7
संख्या–    /XXVII(2)/2007
देहरादून    अगस्त, 2007

पुनर्विनियोग स्वीकृत,

( एन०एन० थपलियाल)
अपर सचिव, वित्त।

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।

संख्या– 171 /IX/2007 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
7. निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

(विनोद शर्मा)
अवर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।